

बिहार सरकार  
उद्योग विभाग  
राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्थद सचिवालय

पत्रांक- EP/8/2026-SIPB-INDUS .....  
सेवा में,

दिनांक-.....

महालेखाकार (ले0 एवं0 ह0)  
बिहार, पटना

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अंतर्गत M/s DSR Rice Mills Private Limited, Kishanganj को कुल ₹2,28,600/- (दो लाख अठाईस हजार छः सौ रुपये) मात्र के भूमि सम्परिवर्तन शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश:- स्वीकृत।

महाशय,

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत एस0डब्लू0सी0 पोर्टल पर प्राप्त दावा (INC202511001819) के आधार पर M/s DSR Rice Mills Private Limited, Kishanganj को वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत कुल ₹ 2,28,600/- (दो लाख अठाईस हजार छः सौ रुपये) मात्र के भूमि सम्परिवर्तन शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है:-

(i) इकाई न्यूनतम 5 वर्षों तक कार्यरत रहेगी। यदि 5 वर्षों के अंदर इकाई बिना किसी औचित्य और सक्षम कारण के बंद होती है तो भुगतान की गई अनुदान की राशि 18 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वसूल की जायेगी।

(ii) इकाई द्वारा अनुदान प्राप्ति के पश्चात् 5 वर्षों तक स्थापित मशीन-उपकरण, आधारभूत संरचना, भूमि की बिक्री/ लीज/ हस्तांतरण किसी अन्य को नहीं किया जाएगा।

(iii) किसी स्तर पर अनुदान की गणना करने में त्रुटि पाए जाने पर भुगतान अनुदान की राशि की वसूली नियमानुकूल की जायेगी।

(iv) प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु अगर कोई गलत सूचना दी जाती है अथवा ऐसी इकाई के लिए प्रोत्साहन प्राप्त किया जाता है जो योग्य नहीं थे, अथवा इस नीति के किसी शर्त के उल्लंघन करने पर प्रोत्साहन राशि के साथ ही 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वसूल की जाएगी। विदित समय में भुगतान नहीं करने पर राज्य सरकार भू-राजस्व की भाँति सूद सहित बकाये की वसूल करेगी।

2. उक्त राशि का व्यय विभागीय राज्यादेश ज्ञापांक-2505, दिनांक-04.09.2025 के आलोक में मुख्य शीर्ष-2852-उद्योग, उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-102-औद्योगिक उत्पादकता, माँग संख्या-23, उप शीर्ष-0160- प्री-प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड-23-2852801020160 के अंतर्गत विषय शीर्ष-0160.33.01 सब्सिडी मद में चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपबंधित राशि से की जाएगी।

3. उक्त स्वीकृत राशि के निकारी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी, उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि की निकारी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से होगी।

5. इस राशि की निकारी पूर्व प्राप्ति रसीद पर बी0 टी0 सी0 फार्म-25 पर की जाएगी।

6. इस राशि का भुगतान M/s DSR Rice Mills Private Limited, Kishanganj को उनके Punjab National Bank के खाता संख्या-0696102100000090, IFSC Code-PUNB0069610 में CFMS के माध्यम से की जाएगी।

7. प्रस्ताव पर उद्योग विभाग का आदेश ज्ञापांक-344, दिनांक-27.01.2021 के आलोक में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस0आई0पी0वी0,

बिहार, पटना।

दिनांक- 24/02/26

ज्ञापांक- EP/8/2026-SIPB-INDUS ..... SIPB/616

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय, विकास भवन, बिहार, पटना/सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/आई0 टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ M/s DSR Rice Mills Private Limited, Kishanganj को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस0आई0पी0वी0,

बिहार, पटना।